



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15709

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1720/2026

श्याम लाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: शेष कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पुनरीक्षण लेखपाल द्वारा दिनांक 17.10.2019 का प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 00548/2020, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202016670400548 के रूप में पंजीकृत किया गया था।
2. उपर्युक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारा पुनरुद्धार आवेदन दायर किया गया था। उक्त आवेदन के पैरा-5 में यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि याचिकाकर्ता की भूजिधर भूमि है। यद्यपि उक्त आदेश को वापस लेने के लिए विभिन्न आधार लिए गए थे कि आदेश एकपक्षीय तरीके से और पुनरुद्धार आवेदन में किए गए कथनों पर विचार किए बिना पारित किया गया था, फिर भी प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् तहसीलदार (न्यायिक), ज्ञानपुर द्वारा दिनांक 14.08.2025 के आदेश के माध्यम से इसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता कार्यवाही को लंबा खींचना चाहता है।
3. उपर्युक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, भदोही के समक्ष वैधानिक अपील, अपील संख्या 1431/2025 दायर की गई थी, जिसे उनके द्वारा भी दिनांक 29.11.2025 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उपर्युक्त से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शेष कुमार श्रीवास्तव द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 न केवल एक एकपक्षीय आदेश था, बल्कि उक्त आदेश पारित करते समय कोई वैध/ठोस कारण भी नहीं बताए गए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य तथा संबंधित मामलों में पारित निर्णय [2023 (1) एडीजे पृष्ठ 154] के पैरा 74 पर भी भरोसा जताया। उक्त आदेश का पैरा-74 इस प्रकार है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"74. इस प्रकार, मेरे विचार में, यू.पी. राजस्व संहिता की धारा 67, 67-ए और 26 के तहत कार्यवाही पर लागू होने वाली प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित दिशानिर्देश अपनाए जाएं। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता, अधिकारियों के दृष्टिकोण में न्यायिक विवेक सुनिश्चित करना और एक लंबे समय से स्थापित कब्जे को हटाने तथा एक निर्दोष ग्रामीण को अनावश्यक उत्पीड़न पहुँचाने के उद्देश्य से की गई प्रत्येक शिकायत को विफल करना है:

(i) आर.सी. फॉर्म 19 पर की गई शिकायत के मामले में, इसे करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में उचित सर्वेक्षण किया गया है; जिस भूमि का कब्जा अनधिकृत पाया गया है वह सटीक माप में है और भू-राजस्व सर्वेक्षण विनियम, 1978 के अनुसार पैमाने पर तैयार किए गए सर्वेक्षण मानचित्र में भी दिखाई गई है; उस आधार पर की गई गणना के विवरण के साथ सर्किल रेट के आधार पर क्षति का सटीक मूल्यांकन किया गया है।

(ii) स्वतः संज्ञान की कार्यवाही के मामले में, आर.सी. फॉर्म 20 जारी करने से पहले, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उप-नियम 1 नियम 67 के मापदंडों पर ऊपर पैरा (i) के अनुसार आर.सी. फॉर्म 19 पर उचित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(iii) आर.सी. फॉर्म 20 के साथ रिपोर्ट की एक प्रति और आर.सी. फॉर्म 19 के साथ प्रस्तुत स्थल सर्वेक्षण की प्रति उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, या पैरा (ii) के अनुसार स्वतः संज्ञान की कार्यवाही के मामले में अन्यथा प्रस्तुत की गई हो।

(iv) नोटिस पर जवाब दाखिल होने पर, यदि प्राधिकारी को लगता है कि स्थल सर्वेक्षण/स्पष्टीकरण रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो वह व्यथित पक्ष की उपस्थिति में एक नई स्थल रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे सकता है।

(v) इस स्थिति में कि आपत्ति में धारा 67-ए के तहत वैधानिक संरक्षण/लाभ का तर्क शामिल है, प्राधिकारी को गांव सभा से आपत्ति आमंत्रित करनी चाहिए, और व्यथित पक्ष को धारा 67-ए के तहत अलग आवेदन देने की आवश्यकता के बिना, धारा 67 के तहत मामले के साथ ही इसका निर्णय करना चाहिए।

(vi) यदि रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाता है, भले ही कोई आपत्ति दाखिल न की गई हो, प्राधिकारी को रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वह अपने बयान से रिपोर्ट को सिद्ध कर सके, जिसमें व्यथित पक्ष को उससे जिरह करने का अधिकार होगा।

(vii) प्राधिकारी को संबंधित अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान की गई समय सीमा के भीतर मामले का निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए और पक्षों को नियमित रूप से स्थगन देने से बचना चाहिए।

(viii) यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत अंतरिम राहत आवेदन के साथ निर्धारित समय के भीतर की गई अपील के मामले में, अंतरिम राहत आवेदन का निर्णय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यथासंभव दूसरे पक्ष को पूर्व नोटिस के साथ दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए और जहाँ सहायक कलेक्टर-प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा 67-ए के तहत समझौते का तर्क लिया गया है, और कुल हर्जाने का कम से कम 25% भुगतान कर दिया गया है तथा प्रश्नगत भूमि पर आगे कोई निर्माण न करने का शपथ पत्र दाखिल किया गया है, तो नागरिक प्रशासन सहित अधिकारियों को अंतरिम राहत आवेदन के निपटारे तक अपील किए गए आदेश के अनुपालन में कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। यदि अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तें पूरी की जाती हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी स्थगन आवेदन के साथ अपील दायर करने के पहले दिन ही अंतरिम राहत देने पर विचार कर सकता है।

(ix) अपीलीय प्राधिकारी को यथासंभव अपील की प्रस्तुति के दो महीने की अवधि के भीतर अपील का निर्णय करना चाहिए।"

5. आगे यह तर्क दिया गया कि उक्त पुनरुद्धार आवेदन देते समय विभिन्न आधार लिए गए थे लेकिन बिना कोई कारण बताए उसे खारिज कर दिया गया।
6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और गांव सभा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता का जिला मुख्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा है। यह तर्क दिया गया कि उक्त तथ्य याचिकाकर्ता को जारी नोटिस में भी शामिल होना चाहिए, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न है।
7. उक्त नोटिस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नोटिस जारी करते समय अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है।
8. मामले के इस पहलू को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2025 स्वतः ही अवैध हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।
9. मामले को नए सिरे से निर्णय हेतु प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष वापस भेजा जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके द्वारा शीघ्रता से नया निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ता को उक्त वाद में शुरू की गई कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है और वह कोई अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(प्रकाश पांडेया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"